2. अपील नं. 64/19
सेवालाल मय परिवार

2> 10/20 अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-2 अवसर लगाया, मगर आज भी गैर हाजिर है। वकील रेस्पोंडेंट उपखण्ड अधिकारी की अपील अधिनियम धारा 9 अधिनियम मेटर्नी में जारीज की जाती है। पत्रावली में कायम रखते हैं। L.C. का रिकार्ड लौटाया जावे। कार्य पालना नकल में काम होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
राजस्थान